राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2011 जयपुर, दिनांक : 29 APR 2011

परिपत्र

विषयः— रिक्त पदों पर सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार नियमित भर्ती करने तथा भविष्य में संविदा नियुक्तियाँ नहीं करने के संबंध में।

लोक हित में तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य कार्य निष्पादन के लिए विगत कुछ वर्षों में निश्चित समय अवधि के लिये संविदा नियुक्तियाँ की जाती रही हैं। राज्य सरकार के अनुभव में यह आया है कि अल्प अवधि के लिए की जाने वाली नियुक्तियों के लिए कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं और इन संविदा नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्य निष्पादन हेतु प्रशिक्षित करने में भी अत्यधिक श्रम एवं समय लग जाता है, जो कि राज्य हित में नहीं है। संविदा कार्मिकों की सेवाएं निरन्तर रखने पर ऐसे कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में नियमित नियुक्ति हेतु मांग भी उठायी जाती रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में संबंधित सेवा नियमों से भिन्न तदर्थ/अस्थाई/संविदा पर राज्य सेवाओं में की गई नियुक्तियों को संविधान में प्रदत्त समान अवसर के प्रावधान के अनुरूप नहीं माना गया है। संबंधित सेवाओं के भर्ती नियमों के प्रावधान एवं उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे नियुक्त कार्मिकों को राज्य सेवा में नियमित किया जाना संभव नहीं है।

अतः राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति के संबंध में समय समय पर परिपत्र/आदेश संख्या प.1(5)वित्त/नियम/02 दिनांक 13.01.2003, 12.05.2003, 30.11.2006, 09.01.2007, 22.10.2007, 06.11.2007 एवं 19.06.2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाने का निर्णय लिया है।

भविष्य में नियमित रूप से सृजित पद, जो संबंधित सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित हैं, पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाकर भर्ती नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही भर्ती की जावे।

वर्तमान में नियुक्त संविदा कर्मियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी समय समय पर समीक्षा करेंगे। ऐसे पदों पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी, संविदा अवधि समाप्त होने से पूर्व ही यथासंभव नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि नियमित चयनित व्यक्ति नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सके।

समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा है कि उक्त दिशा निर्देशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करेंगे।

(सी.के. मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

D:\Data\order-Rules.doc

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 जयपुर,दिनांक 17 JUN 2011

: परिपत्र :

विषयः– वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, कम्प्यूटर मय ऑपरेटर तथा एजेन्सी के माध्यम से संविदा सेवाएं लिए जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के कियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो और राजकीय कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है : –

1. कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या प.17(10)कार्मिक/ए–।।/94 दिनांक 31.10.1995 एवं समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पर सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. राजकीय विभागों में सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र प. 8 (1) सै.क./2003–31 दिनांक 17.04.2008 के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा प्रहरी, सुपरवाइजर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लिपिक, वाहन चालक, प्लम्बर, पैंटर, कारपेन्टर, वेल्डर, ब्लेकस्मिथ की सेवाएं निर्धारित शर्तों एवं पारिश्रमिक दरों पर ली जा सकेंगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समितियों से केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही सेवाएं ली जा सकेंगी।
3. राजकीय विभागों में कम्प्यूटर किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(1)वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं केवल एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर ली जा सकेंगी। व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगी।
4. (i) परियोजनाओं (**Projects**) हेतु यथा संभव विभिन्न विभागों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जा सकता है। परियोजनाओं के पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिकों से भरने हेतु संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जावे, ताकि वांछित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध हो सकें।

   (ii) यदि परियोजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु उक्त बिन्दु संख्या (i) के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से **Job basis** पर कार्य कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (**Individual**) अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाएं अनुबन्धित नहीं की जा सकेंगी।

(सी.के.मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त